(81)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3739/पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.08.2014 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 140/अपील/2013-14.

---

1. सुचेता पुत्री स्वामी प्रसाद
2. ब्रजमोहन पस्तौर आ. स्वामी प्रसाद
3. सीमा सिंह पत्नी सुधीर सिंह

कृषक एवं निवासीगण ग्राम फतेहपुर,
डोबरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री एच.एम. पाराशर एवं श्री आर.एस. चौधरी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 11.08.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका क्र. 1 खसरा क्र. 154, आवेदक क्र. 2 खसरा क्र. 160, 161, 162, 165 एवं आवेदिका क्र. 3 खसरा क्र. 164 स्थित ग्राम फतेहपुर, डोबरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के भूमि स्वामी तथा आधिपत्यधारी हैं। उक्त भूमियों के खसरा खाता नंबर 12 में तहसील हुजूर ने आवेदकगण को बिना सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिये अनावेदक के निर्देश का हवाला देकर खसरा खाता नंबर 12 में 'अहस्ताक्षरणीय' होने का इन्द्राज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील आयुक्त, भोपाल संभाग,

भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा प्रकरण क्र. 140/अपील/13-14 दर्ज कर आदेश दिनांक 11.08.2014 से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व मण्डल द्वारा राजस्व पदाधिकारियों की प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 7 में स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हितबद्ध पक्षकार को सूचित किये बगैर आदेश पारित न किये जावे। इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय को कलेक्टर, भोपाल के हवाले से पारित तहसीलदार तहसील हुजूर का आदेश दिनांक 30.06.2010 निरस्त कर देना चाहिए था। यह भी कहा गया कि आवेदकगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा विचाराधीन भूमि क्रय की है, पूर्व भूमि स्वामियों द्वारा भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से भूमि क्रय की थी। दो बार आवेदित भूमियों पर नामांतरण आदेश पूर्व में हो चुके हैं। इस समय इस बावत् कोई आपत्ति अनावेदक द्वारा नहीं उठाई गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि जिस समय आवेदकगण के विक्रय करने वाले पूर्व भूमि स्वामियों द्वारा उक्त भूमियां क्रय की गई थी, उस समय धारा 165(7) ख संशोधित भी नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में आवेदकगण की भूमियों पर अहस्ताक्षरणीय शब्द लिखा जाना विधि विरूद्ध है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 165(7) ख में सन् 1992 में किया गया संशोधन भूतलक्षी प्रभाव का नहीं है। इसके पूर्व में हस्तांतरण उक्त संशोधन से प्रभावित नहीं होते हैं। इस आशय के निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से हो चुके हैं। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश दोषपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है। यह भी कहा गया कि भूमि स्वामियों के स्वामित्व राजस्व अभिलेख विधि अनुसार तैयार किया जाता है, जिसके संबंध में फेरफार का अनन्य क्षेत्राधिकार केवल सिविल कोर्ट को प्राप्त है, न कि तहसील न्यायालय को। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि विधि अनुसार तैयार अभिलेख अथवा जिस विषय पर विधि के प्रावधान मौजूद हों वहां प्रशासकीय निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है और न ही उनका पालन हो सकता है। किसी भी विधि को प्रशासकीय निर्देशों द्वारा संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस कारण तहसीलदार द्वारा किया गया विचाराधीन इन्द्राज निरस्ती योग्य है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने तथा आवेदकगण का राजस्व अभिलेख सुधार कराया जाकर पूर्व की स्थिति में स्थापित कराये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील सुनने की अधिकारिता आयुक्त को नहीं है । अत: आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने से अपील निरस्त करने में पूर्णत: विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए आयुक्त द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर